1.

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 14 /ऋण सेल/एनबीसीएफडीसी/2020–21 दिनांक– 24.06.2020

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–76/ऋण/ एनबीसीएफडीसी/2013–14 दिनांक 04.03.2014 व परिपत्र संख्या सी–40/तक0प्रकोष्ठ/2014–15 दिनांक 07.08.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन0बी0सी0एफ0डी0सी0) नई दिल्ली की योजना पिछड़े वर्ग के कृषक लाभार्थियों को आत्म निर्भर बनाने के लिए न्यू स्वर्णिमा, महिला समृद्धि एवं कृषि सम्पदा योजनाओं में ऋण वितरण किया जा रहा है। जिनकी अधिकतम इकाई लागत न्यू स्वर्णिमा योजना में रू0 1.00 लाख व महिला समृद्धि एवं कृषि सम्पदा योजना में रू0 0.50–0.50 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

उक्त योजना को विस्तृत करते हुए बैंक परिपत्र संख्या सी–47/ऋण/एनबीसीएफडीसी /2017–18 दिनांक 08.09.2017 एवं सी–07/ऋण/एनबीसीएफडीसी/2018–19 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा एनबीसीएफडीसी की योजनाओं में निम्न उद्देश्यों हेतु ऋण वितरण किया जा रहा है :–

क0	योजना का नाम	योजना के क्षेत्र	ऋण सीमा	योजनाएं	ब्याज दर	ऋण अवधि	पात्र लाभार्थी
1	टर्म लोन (सामान्य ऋण)	अ. कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित	रू0 5.00 लाख	डेयरी/पशुपालन, गाय/बछियापालन, भैंसपालन, सब्जी खेती, लघु सिंचाई, कृषियंत्रीकरण, डीजल पम्पसेट,टियूबेल, सोलरपम्प, समरसेबिल,स्प्रिंकलर,मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, मुर्गीपालन/कुक्कुटपालन, मधुमक्खीपालन, मत्स्यपालन, सूकरपालन, बकरीपालन,भेड़पालन, बायोफार्टीलाइजर, बागवानी एवं फलोद्यान, ट्रैक्टर एवं सहयंत्र, रोटावेटर, थ्रेसर, पावरटिलर, काम्बाईन हार्वेस्टर, बायोगैस, औषधीय खेती, संरक्षित खेती,मेन्था खेती मचान खेती, ग्लैडियोलाई,रजनीगंधा, भूमिक्रय आदि।	6 %	6 वर्ष	पुरूष/महिला
		ब. लघु उद्योग एवं परम्परागत व्यवसाय	रू0 5.00 लाख	दुग्ध प्रसंस्करण, बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान, स्टील बर्तन की दुकान, फुटवियर उद्योग, लो डस्ट चाक उद्योग, स्क्रीन प्रिन्टिंग उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, सीमेन्ट के गमले/पाइप/हौदी एवं जाली का निर्माण, फर्नीचर की दुकान, मोबाईल एवं मोबाईल रिचार्ज की दुकान, फलो की दुकान, डनलपकार्ट, राईसमिल, चादर की दुकान, चश्मे की दुकान, नोडुलस निर्माण उद्योग, साईकिल दुकान,चादर की दुकान, रेडीमेड गारमेन्टस चश्मे की दुकान आदि।	6 %	6 वर्ष	पुरूष/महिला
		स. सेवा सम्बंधी क्षेत्र	रू0 5.00 लाख	सेनेटरी/पलम्बर वर्क्स, फोटो फ्रेमिंग वर्क्स, मोबाईल रिपेरिंग सेन्टर, इनवर्टर सेल्स एण्ड सर्विस, साईकिल रिपेयरिंग सेन्टर, जूस सेन्टर,, जलपान गृह, गैस रिपेरिंग/फेब्रीकेटर्स आदि।	6 %	6 वर्ष	पुरूष/महिला
		द. परिवहन क्षेत्र	रू0 5.00 लाख	कृषियंत्रीकरण सम्बन्धी समस्त वाहन जैसे ट्रैक्टर एवं सहयत्र, लघु सड़क वाहन, थ्री–व्हीलर, ई–रिक्शा आदि।	6 %	6 वर्ष	पुरूष/महिला
		य. शिक्षा ऋण (भारत में)	रू0 10.00 लाख	–	4 %	12 वर्ष	पुरूष/महिला

		र. न्यू स्वर्णिमा	रू0 1.00 लाख	गिफ्ट शॉप, मिट्टी के बर्तन/कलात्मक वस्तुएं, ब्युटीपार्लर की दुकान, कपड़ो की कतरन से कालीन उद्योग, बाल आहार उद्योग, चिली एवं टोमैटो सॉस निर्माण उद्योग, पापड़ उद्योग, सिलाई मैटेरियल की दुकान, प्लासटिक के सामान की दुकान, परचून की दुकान, रेडीमेड गारमेन्टस, कास्मेटिक दुकान आदि।	5 %	7 वर्ष	महिला
2	सूक्ष्म ऋण	कृषि सम्पदा	रू0 0.50 लाख	पौधो की नर्सरी, पेस्ड पत्तल एवं दोना निर्माण, मिट्टी के बर्तन की दुकान, लघु सिंचाई, सब्जी खेती, बकरीपालन, भेड़पालन, परचून की दुकान, औषधीय खेती, संरक्षित खेती, मेन्था खेती मचान खेती, ग्लैडियोलाई, रजनीगंधा आदि	5 %	4 वर्ष	पुरूष/महिला

अतः उक्तानुसार एनबीसीएफडी की उक्त योजनाओं में ऋण वितरण एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पिछड़े वर्ग के कृषको को उपरोक्त योजना के अतिरिक्त यदि और कोई योजना जो एनबीसीएफडी में योजना क्षेत्र के अन्तर्गत हो तो उसमें भी ऋण वितरण करना सुनिश्चित किया जाये एवं वितरित किये ऋण का सदुपयोगिता प्रमाणपत्र परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप (APPENDIX-3) पर धन प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के अन्दर प्रधान कार्यालय के **ऋण सेल** की ईमेल आईडी– **loan.upsgvb@gmail.com** पर प्रेषित करें। ऋण वितरण से पूर्व संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार समस्त औपचारिक्तायें APPENDIX-1 के अनुसार पूर्ण करने के उपरान्त ही ऋण वितरण का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। शेष नियम व शर्ते पूर्ववत् रहेगी।

संलग्नकः– APPENDIX-1 – चेक लिस्ट।
APPENDIX-2 – धनमाँग पारूप।
APPENDIX-3 – सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्रारूप।

(ए0 के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना में ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रबंधक (आई0टी0सेल), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ।

(अरूणाक्षी मिश्रा)
महाप्रबन्धक(ऋण)

APPENDIX-1

:: एनबीसीएफडीसी योजनान्र्गत ऋण वितरण हेतु पात्रता की चेक लिस्ट ::

1. एनबीसीएफडीसी की ऋण योजना में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्ग के दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के कृषक ही लाभार्थी/पात्र होगें।
2. ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय रू0 1,50,000/– से कम होनी चाहिए।
3. शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय रू0 3,00,000/– से कम होनी चाहिए।
4. इस योजना के अन्तर्गत **जाति प्रमाण पत्र** तथा **आय प्रमाण पत्र** राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य होगा, जो तहसीलदार स्तर से कम न हो, केवल यही अधिकारी सक्षम अधिकारी माने जायेंगे।
5. पात्र लाभार्थी के आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
6. पात्र लाभार्थी से केवाईसी नार्म्स पूर्ण कराने की सत्यापित प्रति।
7. ऋण के सापेक्ष प्रतिभूति बैंक द्वारा जारी समय–समय पर परिपत्रों के अनुसार बंधक पत्र निष्पादन एवं गारण्टी डीड में किया जाय।
8. **ऋण की सीमा**–योजना के अनुसार रू0 50.00 हज़ार से रू0 10.00 लाख (प्रति लाभार्थी)
9. इन विशेष योजनाओं में वितरित ऋणों की यदि निर्धारित तिथि को किश्त/किश्तों की अदायगी ऋणी सदस्य द्वारा नही की जाती है अर्थात किश्त/किश्ते बकाया हो जाती है तो बकाया किश्त/किश्तों पर निर्धारित तिथि से अदा करने की तिथि तक ब्याजदर 9.60 प्रतिशत से ब्याज की वसूली की जायेगी जिसका शपथपत्र अवश्य लिया जाय।

नोटः–

- एलडीबी–4 के पृष्ठ–01 पर चेकलिस्ट एवं पृष्ठ संख्या–32 पर वांछित अभिलेख की औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद ही ऋण वितरण प्रक्रिया शुरू की जाय।
- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण : 95% व लाभार्थी का अंश 05% रहेगा।
- पत्रावली में निर्दिष्ट स्थानो पर पत्रावली में स्पष्ट नाम व पदनाम लिखते हुए हस्ताक्षर किया जाय।
- ऋण वितरण ऐसे उददेश्यों में ही किया जाय, जिनमें वसूली मासिक/त्रैमासिक आधार पर सुनिश्चित हो सके।
- **शाखा प्रबंधक** प्रत्येक किश्त की अदायगी(किश्तवार) विवरणपत्र ऋणी सदस्य को ऋण वितरण के समय उपलब्ध करायेगें।
- उक्त योजना में धनमांग पत्र (APPENDIX-2) क्षेत्रीय प्रबंधक की संस्तुति के उपरान्त ही प्रबन्ध निदेशक महोदय के समक्ष प्रेषित किया जाय।
- धनमांग के समय बैंक परिपत्र संख्या–67/ऋण सेल/एनबीसीएफडीसी/19–20 दिनांक 07.02.2020 के अनुसार इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि मांग के सापेक्ष वसूली 80 प्रतिशत व कुल ऋण वितरण के सापेक्ष वसूली 30 प्रतिशत से कम न हों।
- शाखा प्रबंधक ऋण वितरण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देगे।

....

APPENDIX-2

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा–........................जनपद–........................ ।

पत्रांक–   /ऋण सेल/एनबीसीएफडीसी/धनमॉंग/2020–21   दिनांकः–.......................

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

विषयः– <u>एन0बी0सी0एफ0डी0सी0 योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु धनमॉंग।</u>

महोदय,

अवगत कराना है कि शाखा पर एनबीसीएफडीसी की विभ्मिन योजनाओं में रू0...........................लाख की........... ....पत्रावलियां ऋण वितरण हेतु तैयार हैं, जिसके लिये कृपया रू0........................लाख शाखा के खाते में रैमिट कराने का कष्ट करें।

प्रमाणित किया जाता है कि शाखा द्वारा एनबीसीएफडीसी योजनान्तर्गत योजना के प्रारम्भ से वितरित ऋण एवं तातारिख .... को वसूली निम्नवत् हैं :–

एनबीसीएफडीसी योजनाओं में वितरित ऋणों का विवरणपत्र दिनांक..................तक।

(धनराशि लाखों में)

क्र0 सं0	मद	टर्म लोन (कृषि सम्पदा को छोड़कर अन्य समस्त योजनायें)		सूक्ष्म ऋण (कृषि सम्पदा योजना)		कुल योग	
		सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल ऋण वितरण						
2	मॉग						
3	वसूली						
4	प्रतिशत						

प्रमाणित किया जाता है कि इन विशेष योजनाओं में प्र0कार्या0 से प्राप्त धनराशि में से शाखा पर कोई भी धनराशि अवशेष नहीं है। उपरोक्त आंकड़े शाखा के जनरल लेजर के अनुसार पूर्णतया सही है।

शाखा आंकिक
नाम एवं सील

शाखा प्रबन्धक
नाम एवं सील

ऋण स्वीकृति पत्र विवरण की सूची

क्र0 सं0	नाम लाभार्थी	लाभार्थी के पिता का नाम	लाभार्थी का पता	ऋण का उद्देश्य/ योजना	ऋण स्वीकृति पत्र विवरण		
					पत्रांक	दिनांक	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

जिन कृषकों के ऋण वितरण हेतु धनराशि की मांग की जा रही है वे दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़ी जाति/वर्ग के कृषक हैं साथ ही उनके आधार संख्या को उनके बैंक खाते से लिंक कराकर के0वाई0सी0 नार्म्स पूर्ण करा लिया गया है एवं ऋण स्वीकृति पत्र जारी कर दिये गये हैं, जिनका विवरण अधोलिखित है।

शाखा प्रबन्धक
नाम एवं सील

नोटः– धनमांग क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अग्रसारित कराकर ही प्रबन्ध निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें।

APPENDIX-3

उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा–.............. जनपद–.........../मण्डल.......... ।

सदुपयोतिगता प्रमाणपत्र पाक्षिक प्रारूप–3

योजना के प्रारम्भ से एनबीसीएफडीसी योजनाओं में वितरित ऋणों का सदुपयोगिता विवरणपत्र।

(धनराशि लाखों में)

क0	शाखा/ मण्डल	टर्म लोन(सामान्य ऋण)																सूक्ष्म ऋण		कुल योग	
		कृषि एवं कृषि सम्बन्धित		लघु उद्योग/ परम्परागत व्यवसाय		सेवा सम्बंधी क्षेत्र		परिवहन क्षेत्र		शिक्षा ऋण		न्यू स्वर्णिमा		महिला समृद्धि		योग		कृषि सम्पदा			
		सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
योगः–																					

नोटः–प्रमाणित किया जाता है कि, एनबीसीएफडीसी योजनान्तर्गत उपरोक्त ऋण वितरण दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के कृषकों को किया गया है तथा कृषकों के आधार संख्या को उनके बैंक खाते से लिंक कराकर के0वाई0सी0 नार्म्स पूर्ण कर लिये गये है।

शाखा आंकिक
नाम एवं सील

शाखा प्रबन्धक
नाम एवं सील